

राजस्थान-सरकार  
निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर

क्रमांक: प.3/सामा-3/भवन/प्रशा.गाँवो.के संग/2020-21/13015-18 दिनांक: 9-9-2021


समस्त उप निदेशक,  
आयुर्वेद विभाग,  
राजस्थान।

विषय:- प्रशासन गाँवो के संग अभियान में किये जाने वाले क्रियाकलापों के सम्बन्ध में।  
प्रसंग:- राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-1) के पत्र क्रमांक प.12(2)राज.-1/2020  
दिनांक 03.09.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-1) के प्रासंगिक पत्र द्वारा किसानों एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान करने के लिए प्रशासन गाँवो के संग अभियान-2021 दिनांक 02 अक्टूबर 2021 से प्रारम्भ किया जा रहा है।


अतः आपके क्षेत्र में प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021 के अतर्गत आयोजित किये जाने वाले शिविरों में ग्रामीण जनता को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से लाभान्वित करने एवं आयुर्वेद चिकित्सा के प्रचार-प्रसार के लिए आप राजस्व विभाग के अधिकारियों/स्थानीय प्रशासन से समन्वयन स्थापित रखते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर लगने वाले शिविरों में अपनी उपस्थिति देकर जनता को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से लाभान्वित करावे साथ ही राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश की पालना सुनिश्चित करावे साथ ही आप द्वारा की गयी कार्यवाही से निदेशालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करावे।


संलग्न:-उपरोक्तानुसार

  
(आनन्द कुमार शर्मा)  
अति.निदेशक(आयु.)

क्रमांक: प.3/सामा-3/भवन/प्रशा.गाँवो.के संग/2020-21/13015-18 दिनांक: 9-9-2021

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. शासन उप सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. नोडल अधिकारी विभागी वेबसाईट को दी जाकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे। 

  
अति.निदेशक(आयु.)